अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/271/225 अपील/सम्पतराज

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2021/271 श्री अशोक श्री	

अशोक कोठारी बनाम सम्पतराज वगैरह

15.12.21 पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात जो कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात रही है के बाबत् अवैधानिक रूप से नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 01 के नाम तस्दीक किया गया है जिस बाबत् प्रार्थी को किसी प्रकार से सूचित किया गया है। प्रार्थी की हक एवं हिस्से की आराजीयात बाबत् अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गलत रूप से बेयनामा/बक्शीशनामा निष्पादित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थी की आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने की नियत से वाद पत्र के विचाराधीन रहते अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया जा रहा है। अतः प्रार्थी के समक्ष मान्नीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर मान्नीय न्यायालय में निहित असिमित शक्तियों को प्रयोग करते हुए वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अप्रार्थीगण को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित नहीं किया जाता है तो आक्षेपित आदेश की आड़ में प्रार्थी को उनकी खातेदारी की आराजियात से महरूम कर दिया जावेगा, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा द्वारा उनवान अशोक कोठारी बनाम सम्पतराज, प्रकरण संख्या 114/2020 आदेश दिनांक 11.11.2021 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रिकार्ड की यथास्थितिबनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व अपील मीमो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 11.11.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 11.11.2021 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है किन्तु उभयपक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी को बेचान किये जाने से संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/271/226 प्रवीण वि. सम्पतराज

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/271 श्री [illegible] श्री	
लगातार	अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मसूदा के आदेश दिनांक 11.11.2021 एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी को उभय पक्षकारान बेचान नहीं करेगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	